22.07.024

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप.। प्रार्थी वकील ने अप्रार्थीगण की रजि.एडी पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। प्रार्थी वकील ने अपने तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया, कि मौजा गोलासन पटवार हल्का गोलासन तहसील सांचौर के पुराने खसरा नम्बर 274 के नये खेत खसरा नम्बर 272, 273, 274, 273 / 1275 एव पुराने खसरा नम्बर 475 के नये खसरा नम्बर 475 / 1257 व 475 पास–पास आये हुए है। प्रार्थीगण का कब्जा काश्त रकबा 39 बीघा व अप्रार्थी संख्या 01 के काश्त का रकबा 18 बीघा 9 बिस्वा है। जो नक्शा ट्रैस से स्पष्ट है । लेकिन प्रथम सेटलमेंट के अधिकारियों व कर्मचारियो ने प्रार्थीगण के पुराने खेत खसरा नम्बर 274 का रकबा 18 बीघा 9 बिस्वा लिख दिया तथा अप्रार्थी पुराने खसरा नम्बर 275 का रकबा 39 बीघा लिख दिया। अप्रार्थी प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमदा है अगर ऐसा होता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी इस कारण अप्रार्थीगण को मूल वाद के ताफैसला तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

हमनें वकील प्रार्थी की पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्व को अन्तिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरुद्व जारी की जाती है कि मौजा गोलासन पटवार हल्का गोलासन तहसील सांचौर के पुराने खसरा नम्बर 274 के नये खेत खसरा नम्बर 272, 273, 274, 273 / 1275 एव पुराने खसरा नम्बर 475 के नये खसरा नम्बर 475 / 1257 व 475 की भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं [illegible] स कम। मूल वाद के साथ संलग्न हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:33:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner